

पंजीकृत/आवश्यक

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023/20856

देहरादून, दिनांक, 12 जून, 2023

सेवा में,

नोडल अधिकारी (आई0टी0 सेल),
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय- स्थानान्तरण सत्र- 2023-24 के क्रम में सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागान्तर्गत चिकित्सालयों/कार्यालयों में लिपिक संवर्ग एवं स्टोर कीपर संवर्ग के स्थानान्तरण आदेशों की छायाप्रतियों पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,

संयुक्त निदेशक,
प्रशासन।

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजय सिंह	वरिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	प्रा0स्वा0केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak
(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/डुण्डा/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री गंगा प्रसाद बडौनी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bah

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तद्दिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी/अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जोहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री राहुल कुमार	स्टोर कीपर	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौड़ी	जिला चिकित्सालय, हरिद्वार	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, हरिद्वार।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अमित उनियाल	वरिष्ठ सहायक	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	प्रा०स्वा०केन्द्र, यमकेश्वर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी गढ़वाल।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, यमकेश्वर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी/यमकेश्वर/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र0 स0	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री गजेन्द्र सिंह बिष्ट	प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उधम सिंह नगर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

20590

पंजीकृत/आवश्यक/महत्वपूर्ण

देहरादून, दिनांक, 09 जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं0-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री विक्रम सिंह रावत	प्रधान सहायक	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bah

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

20600

देहरादून, दिनांक, 09 जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के कम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री हिमांशु	वरिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र, यमकेश्वर	सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद पौड़ी/हरिद्वार।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, यमकेश्वर/ सामु0स्वा0केन्द्र, भगवानपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद पौड़ी/यमकेश्वर/हरिद्वार/भगवानपुर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री संजीव ठाकुर	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak
(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, रुद्रप्रयाग।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रुद्रप्रयाग/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती जमुना जुयाल	प्रधान सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak
(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अमित भट्ट	कनिष्ठ सहायक	सामु0स्वा0केन्द्र, बेतालघाट	क्षयरोगाश्रम, गेटिया, नैनीताल	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद नैनीताल।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, क्षयरोगाश्रम, गेटिया, नैनीताल।
- चिकित्सा अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, बेतालघाट।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/बेतालघाट/गेटिया।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री मुकेश कोटियाल	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak
(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- संयुक्त निदेशक, प्र०, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- स्टाफ ऑफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, डुण्डा, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती प्रेमा बेलवाल	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर	उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bab
(विनीता शाह)
महानिदेशक।
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, उपजिला चिकित्सालय, काशीपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/ऊधम सिंह नगर।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुभाष चन्द्र	प्रधान सहायक	प्रा0स्वा0केन्द्र, इमलीखेड़ा	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रुद्रप्रयाग	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, इमलीखेड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद हरिद्वार/रुद्रप्रयाग।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्रीमती तारा भण्डारी	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पिथौरागढ़	जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा	निजी अनुरोध

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bab

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तददिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पिथौरागढ़।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री सुदर्शन	वरिष्ठ सहायक	प्रा०स्वा०केन्द्र, नारायणबगड़	प्रा०स्वा०केन्द्र, सैलाकुई	जनहित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bak

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तद्दिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद चमोली/देहरादून।
- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा०स्वा०केन्द्र, नारायणबगड़/प्रा०स्वा०केन्द्र, सैलाकुई।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद चमोली/नारायणबगड़/देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।

पत्र संख्या-3प/लिपिक/25/2023

26612

देहरादून, दिनांक, 09 जून, 2023

-: आदेश :-

शासनादेश संख्या-30/xxx-2/2018-30(13)2017, दिनांक- 06.02.2018 एवं समय- समय पर स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अधीन शासन द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरण सत्र 2023- 24 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या- 04 से कॉलम सं-05 में उल्लिखित नई तैनाती स्थान पर स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	श्री अनुज नौटियाल	कनिष्ठ सहायक	जिला महिला चिकित्साल, उत्तरकाशी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून	जन हित

- सम्बन्धित कार्मिक को उसके नियंत्रक अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्ति के 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण-पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि कराते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अधिनियम की धारा 24 के अनुरूप दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का अवकाश स्वीकृत न किया जायें।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली- 2003 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा- भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायें।

Bah

(विनीता शाह)

महानिदेशक।

तद्दिनांकित।

पत्र संख्या- 3प/लिपिक/25/2023/

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी/देहरादून।
- प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला/महिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी।
- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरकाशी/ देहरादून।
- सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- गार्ड फाईल।

(अजीत मोहन जौहरी)

संयुक्त निदेशक (प्रशासन)